रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 515] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 25, 2006/कार्तिक 3, 1928
No. 515] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 25, 2006/KARTIKA 3, 1928

राज्य सभा सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अक्तूबर, 2006

सा.का.नि. 665(अ).–सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का 22) की धारा 28 की उप-धारा (2) के खंड (ii) तथा (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सभा के सभापति एतदद्वारा राज्य सभा सचिवालय सूचना का अधिकार (शुल्क तथा लागत का विनियम) नियमावली, 2005 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.**–(1) इन नियमों का नाम राज्य सभा सचिवालय सूचना का अधिकार (शुल्क तथा लागत का विनियमन) संशोधन नियमावली, 2006 है।

(2) ये शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. राज्य सभा सचिवालय सूचना का अधिकार (शुल्क तथा लागत का विनियमन) नियमावली, 2005 में –

(क) नियम 3 में, "समुचित पावती" शब्दों के बाद "अथवा मनीआर्डर या भारतीय पोस्टल आर्डर द्वारा" शब्द अंतर्विष्ट किए जाएंगे;

(ख) नियम 4 में, "समुचित पावती" शब्दों के बाद "अथवा मनीआर्डर या भारतीय पोस्टल आर्डर द्वारा" शब्द अंतर्विष्ट किए जाएंगे;

(ग) नियम 5 में, "समुचित पावती" शब्दों के बाद "अथवा मनीआर्डर या भारतीय पोस्टल आर्डर द्वारा" शब्द अंतर्विष्ट किए जाएंगे;

[फा. सं. आर एस/सी पी आई ओ/1/2006]

तपन चटर्जी, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : मुख्य नियम सं. सा.का.नि. 748(अ) दिनांक 27-12-2005 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) दिनांक 27-12-2005 में प्रकाशित किए गए थे।

RAJYA SABHA SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th October, 2006

G.S.R. 665(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (ii) and (iii) of Sub-section (2) of Section 28 of the Right to Information Act, 2005 (22 of 2005), the Chairman, Rajya Sabha, hereby makes the following rules further to amend the Rajya Sabha Secretariat Right to Information (Regulation of Fee and Cost) Rules, 2005, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Rajya Sabha Secretariat Right to Information (Regulation of Fee and Cost) Amendment Rules, 2006.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Rajya Sabha Secretariat Right to Information (Regulation of Fee and Cost) Rules, 2005 —

(a) in rule 3, after the words "proper receipt", the words "or by Money Order or Indian Postal Order" shall be inserted;

(b) in rule 4, after the words "proper receipt", the words "or by Money Order or Indian Postal Order" shall be inserted;

(c) in rule 5, after the words "proper receipt", the words "or by Money Order or Indian Postal Order" shall be inserted;

[F. No. RS/CPIO/1/2006]

TAPAN CHATTERJEE, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) dated 27-12-2005 *vide* number G.S.R. 748(E) dated 27-12-2005.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054